

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम - थानागाजी

सूरजमल बनाम भरताराम

किस्म मुकदमा:- 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नं0 03/03/31.01.2019 सन 2019

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इसमें जारी हुए
२९/८/१९	<p>प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 एल.आर. एक्ट बाद जांच प्रस्तुत हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>प्रार्थी सूरजमल पुत्र भरताराम जाति गुर्जर ने ग्राम बैरावास स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 169/0.49, 172/0.01, 173/0.90, 174/0.09, 175/0.85, 176/0.01, 177/0.11, 227/0.09 है. कुल कित्ता 08 रकबा 2.55 है. की पत्थर गढी कराये जाने हेतु निवेदन किया है। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम बैरावास स्थित आराजी नम्बर 169/0.49, 172/0.01, 173/0.90, 174/0.09, 175/0.85, 176/0.01, 177/0.11, 227/0.09 है. कुल कित्ता 08 रकबा 2.55 है. की बिना किसी के कब्जे में दखलदांजी किये सेटलमेंट नक्शे अनुसार पत्थर गढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थर गढी खर्चा प्रार्थी वहन करेंगे।</p> <p>कमिश्नर शुल्क नियमानुसार प्रार्थी से वसुल हो। पालनार्थ तहसीलदार थानागाजी को लिखा जावे कि पक्षकारान को सूचित किया जाकर नियमानुसार उक्त आराजी की पत्थरगढी की जावें एवं कोई विवाद हो तो पुनः पेश करे। पालना प्राप्त हो।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

  
उपखण्ड अधिकारी  
थानागाजी (अलवर)